

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/297
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00294
CICOM/R/2016/00766

दिनांक: 03.08.2016

अपीलकर्ता : श्री शिवमूरत, पुत्र - स्व० श्री माता बदल,
राम नगर, नरोत्तमपुर ब्लॉक,
विजई पुर थाना, खागा तहसील,
जिला - फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।

निर्णय की तारीख: 03.08.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	16.05.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	21.06.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री वी. के. चन्डोक
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	08.07.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	154131/13.07.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	411/14.07.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पारिवारिक समस्या का उल्लेख करते हुए 5 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री वी. के. चन्डोक, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है।
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 16.05.2016 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री वी. के. चन्डोक, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 21.06.2016 को पत्र सं. CICOM/R/2016/00766 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः संलग्न 10/-रु० का भारतीय पोस्टल ऑर्डर सं. 73 सी 254127 आपको वापस किया जाता है।

संलग्नक - यथोपरि।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

